>

Title: The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Minister of state in the Ministry of Food Processing Industries laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 5th and 9th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में स्थायी कृषि समिति की 5वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा-पटल पर रख रहा हूँ।

स्थायी कृषि समित (15वीं लोक सभा) की 5वीं रिपोर्ट दिनांक 03.03.2010 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2009-10 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त 5वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा 21 सिफारिशें/प्रेक्षण किए गए थे जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रोत्साहन, बजटीय आयोजना, बजट आबंटन, विकास दर - एफपीआई सेक्टर, चौथी तिमाही और मार्च के व्यय का अधिक्य, वार्षिक योजना 2009-10, मध्यावधि मूल्यांकन, खाद्य पार्कों के लिए अवसंरचना विकास स्कीम, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, शीत शृंखला मूल्यवृद्धि और परिरक्षण अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), खाद्य प्रसंस्करण नीति, संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, विजन-2015, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की जनशक्ति सघन प्रकृति और उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़ कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा गया समझा जाए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): मैं माननीय सभापति, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में स्थायी कृषि समिति (15वीं लोक सभा) की 9वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

स्थायी कृषि समिति की 9वीं रिपोर्ट दिनांक 03.03.2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2010 -11 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त 9वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा 13 सिफारिशें/प्रेक्षण किए गए थे जिन पर सरकार द्वारा कारवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रोत्साहन, मांग का सिंहावलोकन, योजना परिव्यय और वार्षिक योजना आबंटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र को आबंटन, मध्यावधि मूल्यांकन, आंतिरक मूल्यांकन और भावी आयोजना, मेगा खाद्य पार्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना और आधुनिकीकरण स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, परिणामी बजट और लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़ कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा गया समझा जाए।[GG1]